# मध्यप्रदेश शासन

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 9027/F 205A/NR-10/MGNREGS-MP/16, भोपाल, दिनांक 14/09/2016

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला– समस्त (म.प्र)

विषयः– **महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी, बैंक तथा पोस्ट आफिस स्तर पर लम्बित भुगतान के निराकरण के संबंध में।**

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गाँधी नरेगा सॉफ्टवेयर से फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी होने के उपरान्त यदि मजदूरों के खाते में अधिकतम 01 सप्ताह में राशि हस्तांरित नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जिले के लीड बैंक, हितग्राही से संबंधित बैंक तथा पोस्ट आफिस के साथ समन्वय करते हुये नियमित निराकरण सुनिश्चित करायें। महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत मजदूरों के लम्बित भुगतान की निरन्तर समीक्षा जिला एवं जनपद स्तर पर नियमित होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि हितग्राहियों के लम्बित भुगतान का अविलम्ब निराकरण किया जा सके। इस संबंध में मार्ग–दर्शीय निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

### 1. बैंक अथवा पोस्ट आफिस स्तर पर वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लम्बित प्रकरण–

- ✓ यदि नरेगा पोर्टल पर बैंक द्वारा भुगतान प्रतिवेदित किया गया है, परन्तु हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं हुई है तो, प्रकरणों के निराकरण करने के लिये आदेश. 7842/NR-10/MGNREGA-MP/2015, दिनांक : 04/08/2015 (संलग्न) का पालन किया जाये।
- ✓ यदि नरेगा पोर्टल पर एफटीओ आंशिक लम्बित अथवा लम्बित प्रदर्शित हो रहा है तो संबंधित बैंक/पोस्ट आफिस से समन्वय कर निराकरण किया जाये।
- ✓ सहकारी संस्थाओं में भुगतान की पुष्टि उपरान्त भुगतान दिनांक नरेगा सॉफ्ट में अनिवार्य रूप से 30 अगस्त 2016 तक पूर्ण करायें।

### 2. बैंक अथवा पोस्ट आफिस स्तर पर वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा इसके बाद के लम्बित प्रकरण–

- ✓ एफटीओ जारी होने के बाद अधिकतम 01 सप्ताह तक यदि किसी हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं हुई हो अथवा बैंक द्वारा संबंधित पोस्ट आफिस अथवा जिला सहकारी बैंक के खाते में राशि हस्तांतरित नही की गई हो तो, संयुक्त आयुक्त (वित्त), म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को जानकारी से अवगत करायें।

### 3. योजनांतर्गत कार्य क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के पूर्व के लम्बित प्रकरण–

- ✓ न्यायलीन प्रकरणों/जांच आदि के कारण लम्बित जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे प्रकरणों में यदि भुगतान किया जाना हो तो, नरेगा साफ्ट में जनपद पंचायत डाटा इन्ट्री माड्यूल में उपलब्ध विकल्प Earlier to previous Year का उपयोग करते हुये डाटा प्रविष्टि संधारित करें एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सत्यापित करा लें कि लम्बित भुगतान नियमानुसार भुगतान योग्य है।
- ✓ जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा से अनुशंसा प्रस्ताव को परिषद् कार्यालय द्वारा मान्य करने के उपरान्त नरेगा सॉफ्ट में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर एफटीओ से राशि भुगतान किया जा सकता है।

.....2

**4. क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लम्बित प्रकरण–**

✓ ऐसे समस्त भुगतान योग्य प्रकरणों जिसमें डाटा एण्ट्री लम्बित है, प्रकरणों की जानकारी एवं डाटा एण्ट्री कार्ययोजना से परिषद को अवगत करायें, जिससे कि भारत सरकार से डाटा एण्ट्री पुनः ओपन करने के लिये अनुरोध किया जा सके।

**5. नरेगा सॉफ्ट से संबंधित समस्यायें–**

✓ नरेगा साफ्टवेयर से भुगतान करने में यदि कोई समस्या हो तो आवश्यक जानकारी उत्तरा सॉफ्टवेयर में दर्ज करें तथा समस्या के निराकरण के लिये आवश्यक जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।

विगत वित्तीय वर्षों के लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिये सम्बन्धित पंचायतों, बैंकों, पोस्ट आफिस तथा सहकारी संस्थाओं के साथ विशेष कैम्प आयोजित किया जाये तथा 15 सितम्बर 2016 तक वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं इसके पूर्व वर्षों के मजदूरी भुगतान से संबंधित समस्त लम्बित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये।

( नीलम शमी राव )
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

पृ. क्रं 9028 /F205A/ NR-10/MGNREGS-MP/16, दिनांक 14 /09/2016

प्रतिलिपिः–

01 संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
02 मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल म.प्र. परिमण्डल भारत सरकार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03 समस्त संभागयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04 महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया/बैंक आफ इंडिया/बैंक आफ बडोदा/यूनियन बैंक आफ इंडिया/पंजाब नेशनल बैंक की ओर प्रेषित कर लेख है कि विगत वर्षों के लम्बित भुगतानों का निराकरण 15 सितम्बर 2016 तक सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
05 प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक की ओर लेख है कि समस्त जिला सहकारी बैंकों को निर्देशित करें कि वह लम्बित भुगतान 15 सितम्बर 2016 से पूर्व सुनिश्चित करायें तथा जिला पंचायतों से आवश्यक समन्वय करें।

(प्रमुख सचिव)
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल